Uttarakhand Electricity Regulatory Commission

Vidyut Niyamak Bhawan',

Near ISBT, PO- Majra, Dehradun-248171

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

PUBLIC NOTICE

Public Hearing in the matter of UPCL's Petition seeking review of the Tariff Order issued by the Commission on 21.03.2018 on the Annual Revenue Requirement and Tariff Petition of UPCL for FY 2018-19.

Uttarakhand Power Corporation Ltd. (UPCL) has filed a Petition seeking review of the Tariff Order issued by the Commission on 21.03.2018 on the Annual Revenue Requirement and Tariff Petition of UPCL for FY 2018-19. The licensee has made an additional claim of ARR amounting to Rs. 439.27 Crore on account of revision of distribution loss reduction trajectory, Power Purchase Cost, Non-Tariff Income, Capitalization and Deferment of past recoveries on account of cost of Royalty Power and other past year adjustments. Responses/suggestions, on the aforesaid Review Petition were sought by the Commission from the stakeholders and the last date for the submission of comments was 18.06.2018.

The Petition is available at the website of the Commission (www.uerc.gov.in) and at the Petitioner's website (www.upcl.org).

The Commission has decided to hold a public hearing in the matter on 24.07.2018 at 11.00 AM in the Commission's office on the above mentioned address. Any person, who wishes to put his views on the subject before the Commission, is invited to appear before the Commission and make the submission in the above public hearing.

Secretary

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0–माजरा, देहरादून
फोन–0135–2641115 फैक्स–2641314, Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

यूपीसीएल की वर्ष 2018–19 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ पिटिशन पर आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 21.03.2018 के विरूद्ध यूपीसीएल द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत पुर्नविचार याचिका पर जन–सुनवाई

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ पिटिशन पर आयोग द्वारा दिनांक 21.03.2018 के विरूद्ध, आयोग के समक्ष एक पुर्नविचार याचिका प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अनुज्ञापी द्वारा विद्युत वितरण हानियों में कमी लाने की ट्राजेक्टरी का पुनरीक्षण, विद्युत क्रय लागत, नॉन–टैरिफ आय, सम्पत्ति का पूंजीकरण तथा गत् वर्ष से सम्बन्धित रॉयल्टी पॉवर की लागत तथा अन्य समायोजन मद में वसूली का स्थगन के आधार पर रू0 439.27 करोड की अतिरिक्त एआरआर का दावा किया गया है। उपरोक्त पुर्नविचार याचिका पर आयोग द्वारा स्टेकहोल्डर्स से सुझाव/मत दिनांक 18.06.2018 तक आमंत्रित किये गये थे।

उक्त पिटीशन आयोग की वेबसाइट www.uerc.gov.in पर एवं याचिकाकर्ता की वेबसाईट www.upcl.org पर उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यालय के उपरोक्त पते पर दिनाँक 24.07.2018 को प्रातः 11.00 बजे एक जन–सुनवाई आयोजित की गई है। इस सम्बन्ध में, यदि कोई भी व्यक्ति अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन–सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

वि0 सं0– 10/2018–19

सचिव